न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 175/2019

अन्तर्गत धारा 86 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर

......वादी

बनाम

1. श्री रामेश्वर लाल पुत्र शंकर लाल जाति विश्नोई साकिन 2 पी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमति गोमतीदेवी पत्नि मनीराम साकिन 2 पी बड़ी तह व जिला श्रीगंगानगर
3. श्री गोपीराम पुत्र मनीराम साकिन 2 पी बडी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
4. श्री सुभाषचन्द्र पुत्र मनीराम साकिन 2 पी बडी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
5. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र मनीराम साकिन 2 पी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
6. श्री रायसाहब पुत्र बीरबलराम जाति सुथार साकिन 2 पी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
7. श्री अमर चन्द पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई साकिन 2 पी बडी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
8. श्री जवाहर लाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई साकिन 2 पी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
9. श्री राजकुमार पुत्र राधाकिशन जाति सुथार साकिन 2 पी बडी तह व जिला श्रीगंगानगर
10. श्रीमति रामदेवी पत्नि लालचन्द जाति सुथार साकिन रोहिडावाली तह व जिला श्रीगंगानगर
11. श्री जसवन्त पुत्र साहबराम उर्फ रायसाहब जाति सुथार साकिन 2 पी बडी तह0 व जिला श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– पैरोकार राज, तहसीलदार(राजस्व)श्रीगंगानगर (वादी)
अधिवक्ता श्री विक्रम विश्नोई (प्रतिवादी–11)

दिनांक 19.08.2020

–:: निर्णय ::–

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीया श्रीमति रामदेवी पत्नि लालचन्द जाति सुथार साकिन रोहिडावाली हाल वार्ड न0–16 महिला पार्क पुरानी आबादी तह व जिला श्रीगंगानगर तह) के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2पी बड़ी के मु0 न0 34 के किला न0 3–4–5 संयुक्त खाता के रकबा मे व सरकारी खाला भूमि मे से कीकर व शीशम के पेड काटे जा रहे है। उक्त रकबा पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर का मौका एवं रिकार्ड

Scanned with CamScanner

मे यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। मौका एवं रिकार्ड की जांच भू0अभिलेख निरीक्षक शिवपुर व पटवारी हल्का रोहिडावाली से करवाई गई उनके द्वारा दिनांक 18.11.2019 व 19.11.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2पी बडी के मु0 न0 34 के किला न0 3 व 4 सयुंक्त खाते के रकबा मे श्री जसवन्त पुत्र साहबराम उर्फ रायसाहब जाति सुथार साकिन 2 पी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा कुल 23 पेड छोटे बडे शीशम, बकैण के काटे गये है, जिसकी मौका स्थिति अनुसार 04 पेड सुखे शीशम, 08 पेड बडे शीशम व एक बकैन, 10 छोटे शीशम के पेड है जिसमे बडे पेडो की मोटाई 2–3 फुट तथा छोटे पेडो की मोटाई लगभग 01 फुट है। इस प्रकार समस्त लकडियो का अनुमानित वजन 70–75 क्विटल है द्य काटे गये पेडो की अनुमानित लम्बाई लगभग 10 फुट है। उक्त रकबा मे से मौके पर किला न0 3 व 4 मे से कुल 23 पेड़ खातेदार के पुत्र के द्वारा शीशग, बकेण के पेड बिना स्वीकति से काटें हुए पाये गये, मौका पर उक्त पेडो की लकडियों का कब्जा बहक सरकार कुर्क कर श्री जगदीश महेरडा ग्राम पंचायत सरपंच रोहिडावाली के सुपुर्द किया जाकर उक्त पेडो की लकडियो को खुर्द–बुर्द नही करने हेतू पाबंद किया गया। उक्त रकबा पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर का स्थगन आदेश है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 11.11.2019, कर्द मौका कार्यवाही व हल्का गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 19.11.2019 की प्रति संलग्न है। उक्त अवैध पेड बिना स्वीकृति से सयुक्त खाता के रकबा मे से काटे गये है। जो नियमों के विरूद्व है। जमाबदी की प्रति सलग्न है। दावा राज हित में है इसलिए कोर्टफीस देय नहीं है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा दिनांक 04.08.2020 को जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 11 का प्रथम अपराध मान कर जुर्माना लगाया जाकर वाद का निस्तारण आज की तारीख पेश में किया जावे एवं प्रार्थी आयन्दा इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा।

–:: आदेश ::–

पैरोकार राज एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11 को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 का प्रथम अपराध है, न्यायिक दृष्टि से प्रतिवादी संख्या 11 का प्रथम अपराध मान कर न्यायहित में जुर्माना लगाया जाकर और इस सशर्त पर कि वह आयन्दा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, वाद का निस्तारण किया जा सकता है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या–11 द्वारा 23 पेड़ काटे गये हैं जिनमें 4 सूखे पेड एवं 19 पेड़ हरे पेड थे। धारा 86 आर.टी.ए. में हरे वृक्षों को ही वृक्ष की श्रेणी में माना गाया है न कि सुखे पेड़ों को। अतः प्रतिवादी संख्या 11 कुल 19 हरे वृक्षों के 100/– रूपये प्रति वृक्ष के हिसाब से 1900/– (एक हजार नौ सौ रूपये) रूपये जुर्माने के अदा करे। प्रतिवादी संख्या 11 से प्राप्त जुर्माना राशि 1900/– रूपये राजकोष में जमा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 11 आयन्दा इस प्रकार का अपराध करने बाबत निषिद्ध रहे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19.08.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर